राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–152/2019

जयलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना।

...........आवेदक

बनाम

1. राजेराम पुत्र सदराम जाति जाट निवासी लालामाण्डी
2. ज्ञानीराम पुत्र नागर जाति जाट निवासी लालामाण्डी
3. टिडो पुत्री रिसाल पत्नी जगवीर जाति जाट निवासी लालामाण्डीहाल आबाद जैतपुर तहसील बुहाना
4. धन्नी पुत्री रिसाल पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी लालामाण्डी हाल आबाद जैतपुर तहसील बुहाना
5. रघुवीर दत्तक पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी लालामाण्डी
6. रामनाथ पुत्र रिसाल सिंह जाति जाट निवासी लालामाण्डी
7. रामेश्वर पुत्र रिसाल सिंह जाति जाट निवासी लालामाण्डी
8. रोहतास पुत्र नागर जाति जाट निवासी लालामाण्डी
9. हवासिंह पुत्र जाति जाट निवासी लालामाण्डी
10. सुमन कुमारी वर्मा पत्नी अशोक जाति जाट निवासी लालामाण्डी
11. सुनिल पुत्र भतेरी पत्नी फुलसिंह जाति जाट निवासी लालामाण्डी
12. अनिल पुत्र भतेरी पत्नी फुलसिंह जाति जाट निवासी लालामाण्डी
13. कर्मवीर पुत्र रामपत जाति जाट निवासी लालामाण्डी
14. हनुमानसिंह पुत्र रामपत जाति जाट निवासी लालामाण्डी
15. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

..........अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक :– 28/01/21

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र निवेदन है कि वाके ग्रामं लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज. जमाबंदी स. 2075–7[illegible] खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 है., खसरा नम्बर 214 रकबा 0.34 है., [illegible] रकबा 0.77 है. किता 3 कुल रकबा 6.71 है. भूमि का अवेदक खातेदार काश्त[illegible] दर्ज रिकार्ड है। आवेदक अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

Scanned by CamScanner

भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 है., में कुआं बनाकर मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है। ग्राम लालामाण्डी के हाल खसरा नम्बर 184 रकबा 1.22 है., खसरा नम्बर 185 रकबा 1.31 है., खसरा नम्बर 186 रकबा 1.27 है., खसरा नम्बर 223 रकबा 0.23 है. , खसरा नम्बर 224 रकबा 0.43 हैं, कुल किता 5 कुल रकबा 4.46 है. के कास्तकार अनावेदक सं. 1 लगायत 14 दर्ज रिकार्ड है। आवेदक अपनी भूमि खसरा नम्बर 187 में कुआ व मकान बना कर परिवार सहित आबाद है आवेदक कीभूमि के दक्षिण अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 183, 185, 184 स्थित है तथा इनके दक्षिण में एक आम सड़क उदामाण्डी से बासडी को पूर्व से पश्चिम को जाती है। आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 187 में बने कुआं व मकाननात के लिए कोई कटानी रास्ता नही है जिसकी वजह से आवेदक को अपनी भूमि तक गाडी ले जाना, ट्रेक्टर से भूमि को कास्त करने, बच्चों को स्कूल भेजने तथा कुए की मोटर खराब होने पर ठिक करवाने, यहां तक परिवार का कोई सदस्रू बीमार होने पर उसे अस्पताल ले जाने हेतु कोई वाहन जाने का रास्ता भी नही है इसलिए आवेदक के लिए रास्ता अंत्यधिक आवश्यक है। अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर के पूर्वी मेढ से लगता हुआं एक कूप है जिसमें विद्युत कनेक्शन अनावेदकगण सं. 1 ने ले रखा है तथा अनावेदक सं. 1 ने उसी कुए पर मकाननात पर जाने के लिए अपनी भूमि खसरा नम्बर 186, 184 के मेढ के दोनो तरफ से दक्षिण में स्थित सड़क से रास्ता छोड रखा है। उसी से कुउं व मकान तक आना जाना करते है। अनावेदक ने उसी जगह पर मकान पर जाने के लिए अपनी भूमि खसरा नम्बर 186, 184 के मेढ के दोनो तरफ से दक्षिण में स्थित सडक से रास्ता छोड रखा है। आवेदक भी इसी रास्ते से आगे खसरा नम्बर 186, 185, 184 के मेढ के दोनो तरफ जो बने रास्ते से आवागमन करता है। इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहा है। लेकिन अनावेदकगण ने अब आवेदक को इस रास्ते से आने जाने से इन्कार करने लग गये है चूंकि उक्त रास्ते राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इसलिए आवेदक को अपनी भूमि खसरा नम्बर 187 तक पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। ताकि आवेदक अपनी भूमि व उसमें मकाननात व कुए तक गाडी आदि व फसल काटने पर उसको बाजार तक ले जाने हेतु 10 फुट का रास्ता की आवश्यकता है।

अतः में आवेदकगण ने अनुतोष चाहा कि वाके ग्राम लालामाण्डी स्थित आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 है. में अनावेदकगण सं. 1 लगायत 14 की खसरा नम्बर 184, 185, 186 में दर्ज नक्शा खसरा नम्बर 186 के पश्चिम मेढ के सहारे–सहारे दक्षिण में स्थित आम सड़क तक फुट रास्ता कायम किया जावे। तथा नजरी नक्शे में स्थित मार्क बी के अनुसार खसरा नम्बर 186 के पूर्वी मेढ व खसरा नम्बर 184, 185 की पश्चिमी मेढ के बीचो बीच आवेदक के कुए के पास से 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

Scanned by CamScanner

फुट रास्ता कायम किया जावे। तहसीलदार बुहाना को मौके पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थी सं. 1,2, 5, 10 की ओर से श्री राजेश यादव अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1,2, 5, 10 की ओर से जबाव पेश निवेदन किया है कि– आवेदक की भूमि के उत्तर में व पश्चिम में आवेदक के खेत मे जाने का प्रचलित रास्ता है लेकिन वह गलत रूप से अनावेदकगण की भूमि में से रास्ता मांग करता है जबकि आवेदक के लिए रास्ता दुसरी तरफ से उपलब्ध है। एवं झुठा मुकदमा किया है। आवेदक रास्ता खसरा नम्बर 168 से आगे रास्ता की मांग करता है तो उसे खसरा नम्बर 186, 184 की दक्षिणी सीमा पर भी रास्ता कटानी दर्ज करवाने करा अवोदन पत्र करना चाहिए उसकी डीएलसी दर रेट की दोगुनी राशि खसरा नम्बर 168 से शुरू हांकर जहां तक उसने रास्ता मांग की है। अर्थात खसा नम्बर 187 तक सम्पूर्ण भूमि के मुल्य की दोगुनी राश्सि अनावेदकगण को भगमतान किए जाने योग्य है। क्योकि आवेदक ने जहां से सडक बताकर रास्ते की मांग कर सकता है। केवल प्रचलित रास्ता होना बताकर प्रचलित रास्ते से खुद की भूमि तक रास्ता की मांग नही कर सकता है। इसलिए आवेदक का यह आवेदन पत्र खारीज योग्य है। एवं खसरा नम्बर 184, 186 की दक्षिणी सीमा में से काटा जाता है तो उसको भी डीएलसी रेट की दोगुनी राशि आवेदक को दिलवाए जाने योग्य है। आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 187 के लिये मौके पर रास्ता उपलब्ध है आवेदक खसरा नम्बर 179 की सीमा पर से आता जाता है। खसरा नम्बर 186 व खसरा नम्बर 184,185 की सीमा पर तो अनावेदकगण के मकान बने हुए है। इसलिए खसरा नम्बर 179 की पश्चिमी सीमा व खसरा नम्बर 185, 184 की पूर्वी सीमा पर रास्ता ले सकता है। अतः जबाव आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि आवेदन पत्र खारीज किए जाने की कृपा करें।

तहसीलदार बुहाना से मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई । मुताबिक मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम लालामाण्डी के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 है. खातेदार जयलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। जयलाल इस खसरा नम्बर में मकान बनाकर पिछले 25 वर्ष से निवास कर रहा है [illegible] के लिये ग्राम बासड़ी से [illegible]दामाण्डीं को पक्की सड़क है जिसका खसरा [illegible] रकबा 0.19 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इस रास्ते से प्रार्थी [illegible] खसरा नं0 186, 184, व 185 आता है। प्रार्थी फिलहाल खसरा नं0 18[illegible] जिसका रकबा 1.27 हैक्टर की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की सीमा के सहारे सहारे सड़क से अपने अपने खेत तक

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

दक्षिण से उत्तर की और आता है। यह रास्ता खंसरा नं0 186 में पूर्व उत्तरी कोने पर स्थित है। मकान तक व आगे 187 खसरे में प्रवेश कर जाता है। मौके पर यह रास्ता चालू है। जिसकी लम्बाई सड़क से 187 खसरे तक लगभग 125 मीटर है। इसी खसरा नं0 187 हेतु रास्ता की कम दुरी खंसरा नं0 186 के पश्चिम सीमा पर लगभग 86 मीटर आति है कि जो खंसरा नं0 187 के दक्षिण में स्थित है। खसरा नं0 187 के उत्तर दिशा में ग्राम लालामाण्डी से जुटपाली जोहडी तक एक कटानी रास्ता है जिसका खंसरा नं0 133 रकबा 0.84 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। इस रास्ते से खसरा नं0 187 के बीच खसरा नं0 159, 160, 161, व 190 आता है। खंसरा नं0 190 रकबा 1.78 हैक्टर खातेदारी भूमि कि पश्चिम सीमा की दूरी उक्त रास्ते से खंसरा नं0 187 तक की दूरी लगभग 260 मीटर है। मौके पर सीर्फ मुख्य सडंक ग्राम बासडी से उदामाण्डी से खंसरा नं0 187 तक खसरा नं0 186 के पूर्वी सीमा वाला रास्ता चालू है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तहसीलदार बुहाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट कें अनुसार ग्राम लालामाण्डी के खसरा नम्बर 187 रकबा 5.60 है. खातेदार जयलाल पुत्र मामचन्द जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। जयलाल इस खसरा नम्बर में मकान बनाकर पिछले 25 वर्ष से निवास कर रहा है इस खसरे में आने जाने के लिये ग्राम बासड़ी से उदामाण्डी को पक्की सड़क है जिसका खसरा नंबर 168 रकबा 0.19 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। इस रास्ते से प्रार्थी का खसरे के बीच में खंसरा नं0 186, 184, व 185 आता है। प्रार्थी फिलहाल खंसरा नं0 186 जिसका रकबा 1.27 हैक्टर की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा की सीमा के सहारे सहारे सड़क से अपने अपने खेत तक दक्षिण से उत्तर की और आता है। यह रास्ता खंसरा नं0 186 में पूर्व उत्तरी कोने पर स्थित है। मकान तक व आगे 187 खसरे में प्रवेश कर जाता है। मौके पर यह रास्ता चालू है। जिसकी लम्बाई सड़क से 187 खसरे तक लगभग 125 मीटर है। इसी खसरा नं0 187 हेतु रास्ता की कम दुरी खंसरा नं0 186 के पश्चिम सीमा पर लगभग 86 मीटर आती है कि जो खंसरा नं0 187 के दक्षिण में स्थित है। खसरा नं0 187 के उत्तर दिशा में ग्राम लालामाण्डी से जुटपाली जोहडी तक एक कटानी रास्ता है जिसका खंसरा नं0 133 रकबा 0.84 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। इस रास्ते से खसरा नं0 187 के बीच खसरा नं0 159, 160, 161, व 190 आता है। खंसरा नं0 190 रकबा 1.78 हैक्टर खातेदारी भूमि कि पश्चिम सीमा की दूरी उक्त रास्ते से खंसरा नं0 187 तक की दूरी लगभग 260 मीटर है। मौके पर सीर्फ मुख्य सडंक ग्राम बासडी से उदामाण्डी से खंसरा नं0 187 तक खसरा नं0 186 के पूर्वी सीमा वाला रास्ता चालू है।

अतः न्यायालय खसरा नम्बर 186 के पश्चिमी सीमा से 86 X 4 = 344 व.मी. अर्थात राउण्ड फिगर में 0.04 है. भूमि रकबा रास्ते के रूप में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 28.1.21 ।

—: आदेशः—

न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम लालामाण्डी में खसरा नम्बर 187 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 186 रकबा 1.27 है0 की पश्चिमी सीमा के सहारे 86 मीटर लम्बाई में व चौडाई 4 मीटर अर्थात 86 X 4 = 344 व.मी. भूमि का रास्ता दिया जाने के आदेश दिये जाते है। जिसका कुल रकबा राउण्ड फिगर में 0.04 है. बनता है। ग्राम लालामाण्डी की वर्तमान बाजार दर 573286 प्रति हैक्टर है जिसके अनुसार राशि 22930/— की दुगुनी राशि 45860 रूपये निर्धारित की जाती है। नंजरी नक्शा प्रदर्श— ''अ'' (लाल स्याही से मार्क A से B) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप मे दर्ज की जावे। अनावेदक को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। नियमानुसार सम्बंधित को भुगतान करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

निर्णय आज दिनांक 28/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

ग्राम - लालामाण्डी
तहसील - खेतड़ी
जिला - झुन्झुनु
सन् - 1977-78
पैमाना की सेमी = 20 मीटर

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं

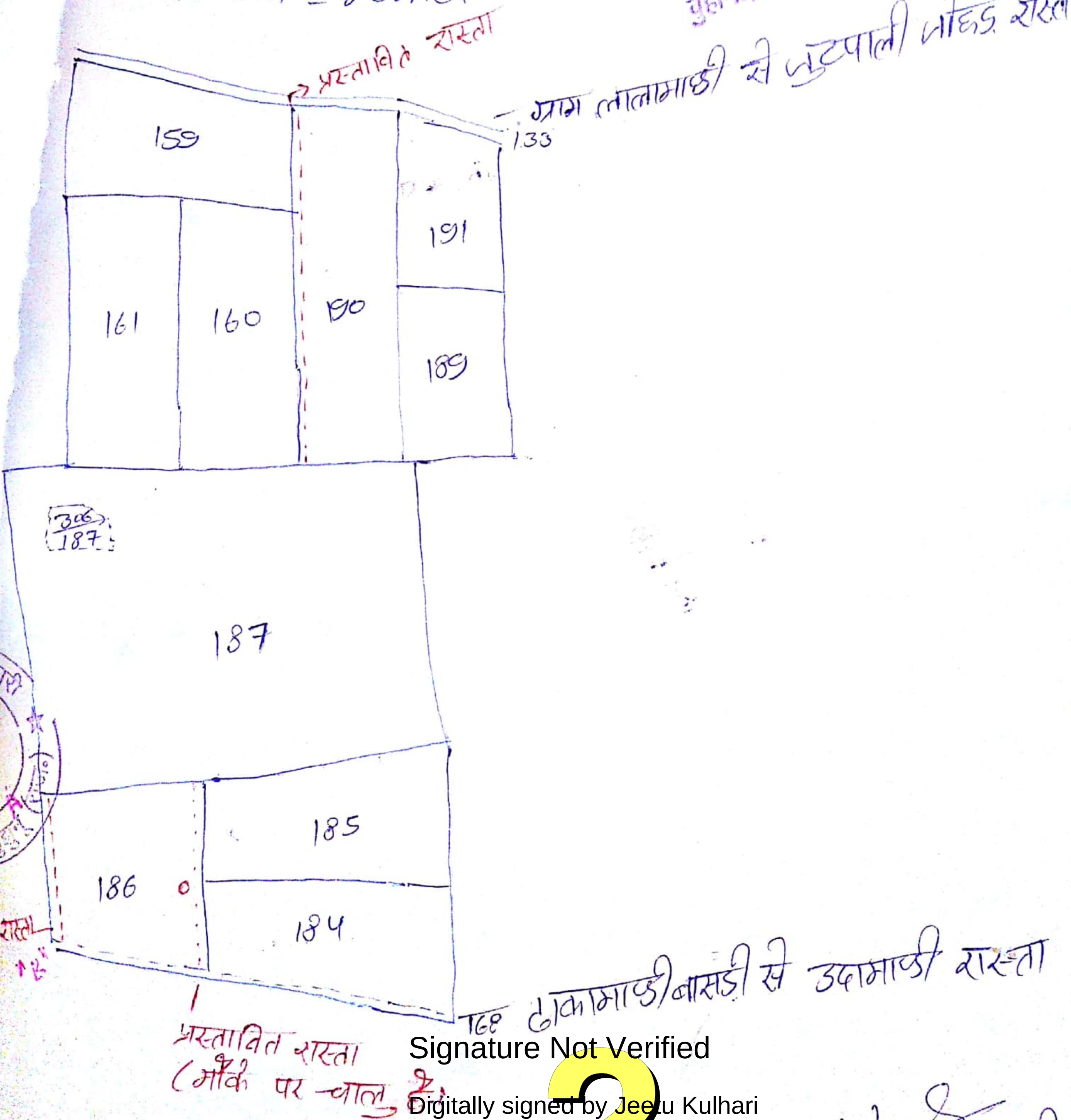

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2021.06.14 16:21:03 IST
Reason: SelfAttested

कानाराम मीणा
प.स. उदामाण्डी
22-9-2020

P35क से 3060 पर दर्ज
22-9-2020
CS

22.9.2020
OIC, Tehsildar

Scanned by CamScanner